भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 984

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है।

.....

गंगा नदी के ई-प्रवाह मानदंड

984. डॉ सुकान्त मजूमदार:

श्री खगेन मुर्मु:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा नदी के ई-प्रवाह मानदंडों को सभी परियोजना स्थलों पर प्रभावी बनाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि गंगा नदी में 100 शहरों के तरल/ठोस अपशिष्ट को छोड़ा जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त कचरे के प्रबंधन के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत आज की तिथि तक गंगा नदी को कितने किलोमीटर तक साफ किया गया है;

(ङ) उक्त मिशन के अंतर्गत कितनी मात्रा में व्यय किया गया हैं और अब तक पूरी नदी की सफाई नहीं होने के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा पूरी गंगा नदी की सफाई के लिए क्या कार्रवाई की गयी है/की जानी है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) भारत सरकार ने 09 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना द्वारा गंगा नदी में उसके उद्गम से लेकर उन्नाव (उ.प्र.) तक बनाये रखने वाला न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह अधिसूचित किया था जिसमें विशेष तौर पर सिंचाई, जल विद्युत, घरेलू और औद्योगिक तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए नदी प्रवाह को डायवर्ट करने संबंधी संरचनाओं अथवा परियोजनाओं के अनुप्रवाह के स्थान शामिल हैं।

अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय जल आयोग को आंकड़ों के लिए नामोदिष्ट प्राधिकरण और संरक्षक □□□या गया है और उसे अधिसूचित पर्यावरणीय प्रवाह प्रणाली के पर्यवेक्षण, निगरानी और विनियमन का दायित्व भी सौंपा गया है। तदनुसार, केंद्रीय जल आयोग ने चल रही 11 परियोजनाएं चिह्नित की हैं, जिनके पर्यावरणीय प्रवाह की वह निगरानी कर रहा है।

(□) गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे स्थित 97 शहरों से प्रतिदिन निकलने वाले अनुमानित 2953 मिलियन लीटर (ए□□□□□) □□□□ उत्पत्ति के मुकाबले गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में वर्तमान सीवर परिशोधन क्षमता बढ़कर 1954 □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ 1354 □□□□□□ सीवर परिशोधन संयंत्र (एसटीपी) क्षमता सृजित करने की परियोजनाएं भी शुरू की गयी हैं।

गंगा नदी के किनारे स्थित 97 शहरों से प्रतिदिन निकलने वाले अनुमानित नगर पालिका ठोस अपशिष्ट उत्पत्ति 11,710 □□ (टीपीडी) □□□□□□□□वर्तमान संस्थापित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता 5245 टीपीडी □□ □□ 1703 टीडीपी की 41 परियोजनाएं अनुमोदित की गयी हैं और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(□) पिछले 5 वर्षों में, गंगा नदी की मुख्य धारा पर 82 सीवर परियोजनाएं शुरू की गयी हैं जिसमें 1485.23 एमएलडी की नयी एसटीपी क्षमता शामिल है जिसकी अनुमानित लागत 13,346 करोड़ रू. है। इसी प्रकार 1732 एमएलडी की नयी एसटीपी क्षमता सृजन हेतु गंगा नदी की सहायक नदियों पर 34 परियोजनाएं शुरू की गयी हैं जिनकी अनुमानित लागत 6549 करोड़ रू. □□ औद्योगिक बहिस्रांव प्रबंधन के लिए दो साझा बहिस्रांव परिशोधन संयंत्र (सीईटीपी) भी मंजूर की गयी हैं।

(□) नदी की सफाई एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और भारत सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता देकर गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण की चुनौतियों के समाधान हेतु राज्य सरकारों द्वारा किये जा रहे प्रयासों में सहयोग दे रही है। नमामि गंगे कार्यक्रम ने गंगा नदी की सफाई के लिए कई समन्वित कार्य शुरू किये हैं।

□□ □□ 298 परियोजनाएं मंजूर की गयी है जिनकी अनुमानित लागत 28,451.22 करोड़ रु. □□ इनमें से 93 परियोजनाएं पूरी हो गयी हैं और उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है। शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

3729.92 एमएलडी की नयी सीवर परिशोधन क्षमता के सृजन, 1114.39 एमएलडी परिशोधन क्षमता की पुनर्बहाली और लगभग 4972.35 किमी. सीवर लाइन बिछाने के लिए 150 □□□□ □□□□□□□ परियोजनाएं (111 गंगा की मुख्य धारा पर और 39 उसकी सहायक नदियों पर) शुरू की गयी हैं, जिनकी मंजूर लागत 23,130.95 करोड़ रू. □□ □□, 2019 तक इनमें से 43 परियोजनाएं पूरी हो गयी है जिनके फलस्वरूप 575.84 एमएलडी की एसटीपी की क्षमता का सृजन हुआ है और 2645.6 किमी. सीवर लाइन बिछाई गयी है। गंगा की मुख्य धारा के किनारे स्थित शहरों से उत्पन्न होने □□□2953 □□□□□□ (2016) □□□□ □□□□□□□□3308 एमएलडी सीवर परिशोधन क्षमता को मंजूरी दी गयी है।

(□.) भारत सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2014-15 □□ 31.12.2020 तक की अवधि के लिए कुल 20,000 करोड़ रू. का बजटीय परिव्यय रखा गया है। 31.05.2019 तक के लिए 7763.72 करोड़ रू. □□ □ □□□ □□□□□□□□□ □□ 6134.93 करोड़ रू. की राशि वितरित की गयी है।

(□) भारत सरकार ने नदी की स्थायी ढंग से जल्दी सफाई सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्य शुरू किये है -

1. केंद्र क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत 100 प्रतिशत वित्त पोषण।
2. □□□ □दी के किनारे बसे लगभग 2035 लोगों की आबादी के लिए सीवेज परिशोधन क्षमता □□ वैज्ञानिक आकलन□
3. सीवर परियोजनाओं के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड की सार्वजनिक-निजी भागीदारी (□□□□□), □□□□□□□□ □□ 15 वर्ष की दीर्घ अवधि के लिए प्रचालन और रख-□□□□, परियोजना लागत में शामिल किया गया है और '□□ □□□-एक प्रचालक' विचारधारा के माध्यम से बेहतर संचालन जिसमें पुरानी की पुनर्बहाली और नई परिशोधन क्षमता का सृजन दोनों को शामिल किया □□□ □□□
4. गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियों अर्थात यमुना, रामग□□, काली, □□□□, □□□□, □□□□, घाघरा आदि के विभिन्न प्रदूषित खंडो में प्रभावी प्रयास किए गए हैं।
5. परिशोधित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण तथा पुनः प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
6. गंगा के किनारे □□पूरी तरह प्रदूषणकारी उद्योगों की सूची बनाने और उनका स्वतंत्र संस्था द्वारा 100 प्रतिशत वार्षिक निरीक्षण।
7. कानपुर में जाजमऊ चमड़ा उद्योग समूह के लिए 20 एमएलडी साझा बहिस्रोव परिशोधन संयंत्र (सीईटीपी) परियोजना शुरू की गई है।
8. □□□ 4465 गंगा ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त किया गया है।
9. ट्रैश स्किमरों द्वारा नदी सतह की सफाई तथा घाटों की सफाई की परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
10. 103 घाटों तथा 29 मोक्षधामों का कार्य पूरा हो गया है।
11. 09 अक्टूबर, 2018 को पर्यावरणीय प्रवाह अधिसूचित किया गया है, जिसमें उत्तराखंड में तथा उत्तर प्रदेश में उन्नाव तक गंगा के लिए न्यूनतम प्रवाह स्तर को अनिवार्य बनाया गया □□□
12. राज्य व जिला गंगा समिति का गठन □□□□परियोजनाओं का तीव्र कार्यान्वयन सुनिश्चित □□□□□□लिए सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण।

*****